

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ.वि.शि.प./डी.एल.एड.-प्र.प0 एक (1) /408-14 /2019-20 दिनांक 22 फरवरी 2020।

दो वर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019-20
अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना

परिषद द्वारा प्रसारित विज्ञापित संख्या : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0 2019-20 (1)/विज्ञापित 02/337-56 /2019-20 दिनांक 06 जनवरी 2020 के क्रम में दो वर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019-20 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा हेतु भरे गए आवेदनपत्र (OMR) की स्केनिंग कर उसके आधार पर प्राप्त त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण अथवा अनिवार्य अर्हता पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप से अभ्यर्थन निरस्त करने से पूर्व अभ्यर्थियों को त्रुटियों/कमियों को दूर करने/सुधार करने का एक अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत परिषद की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM/UTET लिंक पर प्रसारित की जा रही है।

यदि किसी अभ्यर्थी/आवेदक को परिषद द्वारा जारी की गई उक्त सूची पर कोई आपत्ति हो और वे इसमें सुधार हेतु अपना पक्ष/प्रत्यावेदन करना चाहते हैं तो वे इस हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रार्थनापत्र) पर समुचित साक्ष्य/साक्ष्यों सहित ई-मेल deled2015@gmail.com अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 02 मार्च 2020, सांय 05:00 बजे तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रत्यावेदन देने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले एवं अपूर्ण/साक्ष्य रहित प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा समयान्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रत्यावेदन (साक्ष्यों सहित) उपलब्ध करा दें। अभ्यर्थियों की सूची एवं त्रुटियों/कमियों को दूर करने/सुधारने हेतु विस्तृत निर्देश एवं प्रत्यावेदन हेतु प्रपत्र (प्रार्थनापत्र-सह-प्रारूप) का प्रारूप परिषद की वेबसाइट के उक्त लिंक पर उपलब्ध है।

भवदीय
22/02/2020
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजुकेशन (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019-20

त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/निरस्त होने वाले आवेदन पत्रों हेतु सूचना

परिषद् द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति संख्या : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0 2019-20 (1)/विज्ञप्ति 02/337-56/2019-20 दिनांक 06 जनवरी 2020 के क्रम में दो वर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019-20 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र स्केनिंग के उपरांत उक्त परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में त्रुटियां पायी गयी हैं, उनकी सूची इस निर्देश के साथ परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM/UTET के आईकॉन पर प्रदर्शित की जा रही है कि यदि वे इसमें सुधार हेतु प्रत्यावेदन करना चाहते हैं तो वे इस हेतु समुचित साक्ष्य/साक्ष्यों सहित, लिखित संलग्न प्रार्थना पत्र ई-मेल deled2015@gmail.com या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 02 मार्च 2020, सांय 05:00 बजे तक परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- आवेदन पत्र का मूल्य सभी वर्ग के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए रू0 125.00, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू0 250.00 निर्धारित था। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा 'निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन' किए जाने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा रहा है। यदि वे इस संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वे अपने प्रार्थना पत्र में अपने वर्ग (जाति)/विकलांगता का उल्लेख करते हुये साक्ष्य (जाति अथवा दिव्यांगता प्रमाण पत्र) सहित पक्ष प्रस्तुत करें।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे 'दिव्यांगता का प्रकार अंकित नहीं' का उल्लेख है, वे अपने प्रार्थना पत्र में अपनी दिव्यांगता के प्रकार का उल्लेख करते हुये के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40% या उससे ऊपर) प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें दिव्यांग श्रेणी का न मानते हुये सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अन्य अर्हताएं यथा आयु अधिक होने, निर्धारित मूल्य के आवेदनपत्र पर आवेदन न होने आदि कारणों से उनका आवेदन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे 'जन्मतिथि (आयु) कम' अथवा 'जन्मतिथि (आयु) अधिक' अथवा 'जन्मतिथि की अंकना त्रुटिपूर्ण/अंकना नहीं', का उल्लेख है वे अपनी जन्मतिथि एवं 01 जुलाई, 2020 को आयु का उल्लेख करते हुये हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सूच्य है कि अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई, 2020 को 19 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई, 1990 से पूर्व एवं 01 जुलाई, 2001 के बाद की न हो। आरक्षित वर्ग को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किन्तु न्यूनतम आयु सीमा में किसी वर्ग के अभ्यर्थी को किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम आगे 'जाति अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित' का उल्लेख है, वे अपने प्रार्थना पत्र में अपनी जाति का उल्लेख करते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में अन्य अर्हताएं यथा आयु अधिक होने, निर्धारित मूल्य के आवेदनपत्र पर आवेदन न होने आदि कारणों से उनका आवेदन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे 'प्रशिक्षण हेतु आवेदित वर्ग/उपवर्ग अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित' का उल्लेख है, वे इस परीक्षा हेतु जारी सूचना विवरणिका पृष्ठ 3 के बिन्दु च (उपलब्ध स्थानों (सीटों) की संख्या) में दिये गये निर्देशों का अध्ययन कर अपने प्रार्थना पत्र में अपनी स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता के अनुसार विज्ञान वर्ग की दशा में उपवर्ग में उपयुक्त कोड 1, 2, अथवा 3, एवं विज्ञानेत्तर वर्ग की दशा में कोड 4, 5, अथवा 6 की स्पष्ट अंकना करें। केवल एक ही उपवर्ग का चयन करें। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदकों के सुलभ संदर्भ हेतु वर्ग एवं आवेदित उपवर्ग हेतु कोड निम्नवत हैं—

1. विज्ञान वर्ग में उपवर्ग –


उपवर्ग	कोड
भौतिक एवं गणित विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	1
रसायन विज्ञान, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	2
उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	3


2. विज्ञानेत्तर वर्ग में उपवर्ग –


उपवर्ग	कोड
अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	4
न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत सहित, हिन्दी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	5
अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारी	6

- जिन आवेदकों द्वारा क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) कोड 2 अंकित किया है (यद्यपि उनके नाम इस सूची में प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं) उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। अतः ऐसे आवेदक तत्संबंधी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराएं।

अभ्यर्थी सूची का गंभीरता से अवलोकन कर लें। कतिपय आवेदकों के नाम के आगे एक से अधिक कारण अंकित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक तत्संबंधी प्रार्थनापत्र एवं साक्ष्य उपलब्ध करायेंगे। प्रत्यावेदन देने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले एवं अपूर्ण/साक्ष्य रहित प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्रत्यावेदन प्राप्त न होने के कारण आवेदक के अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।


22/04/2020


22/04/2020
(डॉ० नीता तिवारी)

संयोजक
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
सोमनगर, मैसूरि जिला। 

सेवामें,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

विषय : द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2019-20 के त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र पर अंकित कमियों/त्रुटियों के निवारण हेतु प्रार्थनापत्र।

महोदय,

प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की विज्ञप्ति संख्या : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0 2019-20 (1)/विज्ञप्ति 02/ 337-56/2019-20 दिनांक 06 जनवरी 2020 के क्रम में द्वि वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2019-20 हेतु आवेदन किया है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/निरस्त होने वाले आवेदकों की सूची में मेरा नाम अंकित है। मेरे द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरने के दौरान परिषद् द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुयी है। इस सम्बन्ध में अपने नाम के सम्मुख अंकित त्रुटि/कमी के क्रम में मैं अपना प्रार्थनापत्र इस अनुरोध के साथ सेवामें प्रेषित कर रहा हूँ कि मेरे अभ्यर्थन पर मेरे द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूचना, साक्ष्य/साक्ष्यों के क्रम में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा कीजियेगा।

1. त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/निरस्त होने वाले आवेदकों की सूची में क्रमांक :

2. ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या :

3. आवेदन पर अंकित त्रुटि/कमी एवं उस पर प्रत्यावेदन :

क्र0 सं0	त्रुटि/कमी का विवरण	त्रुटि/कमी के निराकरण हेतु आवेदक का प्रत्यावेदन/कथन

4. त्रुटि/कमी के निवारण हेतु प्रस्तुत साक्ष्य :

दिनांक :

स्थान :


आवेदक/प्रार्थी के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

दूरभाष नम्बर.....

नोट : अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन में कमी/त्रुटि निवारण हेतु समुचित साक्ष्य की स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें। बिना समुचित साक्ष्य के प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।


22/02/2020

